



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27064

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1526/2026

सैयद मशकूर अली

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अरुण कुमार श्रीवास्तव, बजरंग लाल श्रीवास्तव, प्रियंका श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता की सेवा विस्तार के लिए परमादेश की प्रार्थना की है।
2. तदनुसार, रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

एस.एफ.एच.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"